

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार भीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 142/2025

दायर दिनांक 23.05.2025

उनवान

1. अरशदखान वल्द अख्तरखान जाति मुसलमान नि. रायपुर तहसील रायपुर
2. असलमखान पुत्र मुजपफरखान जाति मुसलमान नि. झालरापाटन हाल नि. रायपुर
3. गोकुलप्रसाद पुत्र विष्णुप्रसाद जाति दांगी नि. किशनपुरा हाल रायपुर तहसील रायपुर
4. जहांआरा पत्नि अबरारअहमद जाति मेव नि. कोटडीखुर्द तहसील रायपुर

- वादीगण

बनाम

1. रुबीनाबी पत्नि इसाकमोहम्मद जाति मेव निवासी मण्डावर तहसील असनावार
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण -

अभिभाषक वादी - श्री मोहम्मद अल्ताफ मेव

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 - शहजादी गौरी



मिनजानित मुदई रुबरुX.....मिनजाबिन
मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के खाता सं. 5 के खसरा नं. 2007 रकबा 0.1644 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

क्र.	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा है.	किरम
1	अरशदखान वल्द अख्तरखान जाति मुसलमान नि. रायपुर	2007 / 1	0.0418	बीड प्रथम
2	असलमखान पुत्र मुजपफरखान जाति मुसलमान नि. झालरापाटन	2007 / 2	0.0822	बीड प्रथम
3	गोकुलप्रसाद पुत्र विष्णुप्रसाद जाति दांगी नि. किशनपुरा तह.झालरापाटन	2007 / 3	0.0069	बीड प्रथम
4	जहांआरा पत्नि अबरारअहमद जाति मेव नि. कोटडीखुर्द	2007 / 4	0.0103	बीड प्रथम
5	रुबीनाबी पत्नि इसाकमोहम्मद जाति मेव निवासी मण्डावर तह.झालरापाटन	2007 / 5	0.0232	बीड प्रथम

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

[Signature]

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

निजX.....मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.08.2025 को जारी किया गया।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमि भर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमि नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार भीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 142/2025

दायर दिनांक 23.05.2025

उनवान

1. अरशदखान वल्द अख्तरखान जाति मुसलमान नि. रायपुर तहसील रायपुर
2. असलमखान पुत्र मुजपफरखान जाति मुसलमान नि. झालरापाटन हाल नि. रायपुर
3. गोकुलप्रसाद पुत्र विष्णुप्रसाद जाति दांगी नि. किशनपुरा हाल रायपुर तहसील रायपुर
4. जहांआरा पत्नि अबरारअहमद जाति मेव नि. कोटडीखुर्द तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. रुबीनाबी पत्नि इसाकमोहम्मद जाति मेव निवासी मण्डावर तहसील असनावार
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण –

अभिभाषक वादी – श्री मोहम्मद अल्ताफ मेव

अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 – शहजादी गौरी

निर्णय

दिनांक 12.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के खाता सं. 5 के खसरा नं. 2007 रकबा 0.1644 हैक्टेयर के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.07.2025 के अनुसार घादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



6

रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/905 दिनांक 19.07.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया जिस पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण उभयपक्ष की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम रायपुर तहसील रायपुर के खाता सं. 5 के खसरा नं. 2007 रकबा 0.1644 हैक्टेयर भूमि में तहसीलदार रायपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	अरशदखान वल्द अख्तरखान जाति मुसलमान नि. रायपुर	2007/1	0.0418	बीड प्रथम
2	असलमखान पुत्र मुजपफरखान जाति मुसलमान नि. झालरापाटन	2007/2	0.0822	बीड प्रथम
3	गोकुलप्रसाद पुत्र विष्णुप्रसाद जाति दांगी नि. किशनपुरा तह.झालरापाटन	2007/3	0.0069	बीड प्रथम
4	जहांआरा पत्नि अबरारअहमद जाति मेव नि. कोटडीखुर्द	2007/4	0.0103	बीड प्रथम
5	रुबीनाबी पत्नि इसाकमोहम्मद जाति मेव निवासी मण्डावर तह.झालरापाटन	2007/5	0.0232	बीड प्रथम

तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)